

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 53/2018

1. श्रीमती विजय कुमारी पत्नी श्री जीवन प्रकाश जाति कुशवाह निवासी ग्राम भवानी शंकर का पुरा मनियां जिला धौलपुरवादी
बनाम
1. रतनसिंह पुत्र चरनसिंह उर्फ करनसिंह ।
2. रामेश्वर पुत्र चरनसिंह उर्फ करनसिंह ।
3. जगन्नाथ पुत्र चरनसिंह उर्फ करनसिंह ।
4. अंगूरी देवी पत्नी महेशचन्द्र जाति कुशवाह निवासी ग्राम हिनौता चौकी तहसील व जिला धौलपुर
5. शिवदेई पुत्री भोगी पत्नी अजमेरसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम भवानीशंकर का पुरा मनियां तहसील व जिला धौलपुर हाल ग्राम हुसैनपुर बाड़ी तहसील बाड़ी जिला धौलपुरमूल प्रतिवादीगण
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धौलपुर राज0तरतीवी प्रतिवादी दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट



निर्णय

दिनांक 16.05.2025

वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 10.7.202018 को एक राजस्व वाद बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 20.09.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 1082 दिनांक 21.11.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये थे। विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आये उन्हें कई बार आवाज लगाई गई कोई हाजिर जबाब नहीं आया। तहसीलदार मनियां पक्षकारों को विधिवत रूप से नोटिस जारी किये थे। तहसीलदार मनियां द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी 1285 बाकै ग्राम भवानीशंकर का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. रतनसिंह पुत्र करनसिंह जाति काछी सा. देह खातेदार.	1285/1	0.0373है0	चा0प्र0
2. रतनसिंह पुत्र चरनसिंह जाति काछी सा. देह खातेदार	1285/2	0.1252है0	चा0प्र0
3. विजय कुमारी पत्नी जीवनप्रकाश जाति काछी सा0देह खातेदार	1285/3	0.1043है0	चा0प्र0
4. रामेश्वर पुत्र चरनसिंह जाति काछी सा. देह खातेदार	1285/4	0.0417है0	चा0प्र0

उपरोक्त अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)


- | | | | |
|---|----------|------------|----------|
| 5. दीपक पत्नी ज्ञानप्रकाश जाति कुशवाह जाति काछी सा. चौकी हिनौता खातेदार | 1285 / 5 | 0.0417 है० | चा० प्र० |
| 6. शिवदेई पुत्री भोगी जाति काछी सा. देह खातेदार | 1285 / 6 | 0.0261 है० | चा० प्र० |
| 7. अंगूरी देवी पत्नी महेशचन्द्र जाति काछी सा. देह खातेदार | 1285 / 7 | 0.0410 है० | चा० प्र० |

कुल कित्ता 7 रकवा 0.4173 हैक्टेयर बाकै ग्राम भवानीशंकर का पुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजी के कुल लगान के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(
 (डी साधना शर्मा)
 सहायक कलक्टर मु०
 धौलपुर
 उपखण्डाधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर मुख्यालय
 धौलपुर (राज०)